FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रूड़ाराम बनाम जगदीश वगै0

किस्म मुंकदमा:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा   मुकदमा नम्बरः– 20/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
23.06.2020	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल से की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 08.07.2020 को पेश हो।	
08.07.2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा किये जाने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में अभी तक नोटिस जारी नहीं हुए है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दायरी के रोज अप्रार्थी नं. 2 की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं होने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर नये सिरे से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने की अनुमति बाबत पेश किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विड्रा कर खारीज किया जाता है तथा वकील प्रार्थी को दुबारा नया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्ट टैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	